(153)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 8002–एक / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–5–15 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)2014–15 / 1647.

मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड
पूर्ववर्ती नाम कॉक्स इंडिया लिमिटेड,
द्वारा अधिकृत – राजीव मित्तल पुत्र श्री सतीश मित्तल,
निवासी डिस्टलरी कैम्पस, नौगांव,
जिला छतरपुर म0प्र0 ----- अपीलांट

विरूद्ध

आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर ----- रिस्पोंडेंट

रिस्पोंडेंट शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1) / 2014–15 / 1647 में पारित आदेश दिनांक 2–5–15 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कंपनी को अनूपपुर क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 18–2–13 द्वारा दी गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, अनूपपुर ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के तहत रखन अनिवार्य है । मद्यभाण्डागार अनूपपुर में माह मई 2013 से अगस्त 2013 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध

के अनुसार नहीं रखा गया है । उक्त अनियमितता के कारण अपीलांट को दिनांक 13–3–14 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका उत्तर अपीलांट इकाई द्वारा 25–3–14 को प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांट कंपनी को म0प्र0 देषी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के उल्लंघन का दोषी एवं नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय मानते हुए 15,000/– रूपये की शास्ति आरोपित की साथ ही उन्होंने 65 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने से 500/– रूपये प्रतिदिन के मान से 32,500/– रूपये तथा आलोच्य अवधि में 33 दिवस बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 8,250– रूपये इस प्रकार कुल 57,750/– की शास्ति आरोपित की । आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 7–6–16 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायहित में 15 दिवस का समय उन्हें लिखित तर्क पेश करने हेतु दिया गया किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा अपील मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपील मेमो में दिए गए तर्कों एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मद्यभाण्डागार में बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहे हैं जिनका उल्लेख विद्वान आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों तथा म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) जिसमें न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है, का उल्लंघन किया गया है । जहां 4(4) का उल्लंघन हो वहां नियम 12 (1) के तहत शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है । अतः विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । जहां तक

अपीलार्थी की ओर से अपील मेमो में दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि न्यूनतम संग्रह न रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए उस पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा किया जाता है तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—5—15 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर